

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 20वीं बैठक
जो दिनांक 31.12.2016 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1- श्री ए०पी० मिश्रा | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |
| 2- श्री ए० के० अग्रवाल | निदेशक |
| 3- श्री बी०एस० तिवारी | निदेशक |
| 4- श्री राकेश त्रिवेदी | निदेशक |

विशेष आमंत्रि

3. श्री सुबीर चक्रवर्ती, मुख्य अभियन्ता (पीपीएमएम)
4. श्री आर० के० जैन, मुख्य अभियन्ता (जानपद-नव परियोजना)

सहायतार्थ

श्री एच० के० अग्रवाल, कम्पनी सचिव

क्रम	एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
1	निगम के निदेशक मण्डल की 19वीं बैठक जो दिनांक 14.09.2016 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि।	निदेशक मण्डल ने 19वीं बैठक जो दिनांक 14.09.2016 को सम्पन्न हुयी, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।
2	निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा पारित प्रस्ताव के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में।	<p>लिया गया निर्णय</p> <p>निदेशक मण्डल ने विभिन्न तिथियों को पारित किये गये प्रस्तावों का पुष्टिकरण करते हुए, उसे इस बैठक के कार्यवृत्त में निम्नवत उद्धरित करने का अनुमोदन प्रदान किया :-</p> <p><u>जवाहरपुर तापीय परियोजना के अर्न्तगत 2X660 मेगावाट की इकाई लगाने हेतु मैसर्स रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि० द्वारा स्वीकृत ऋण रू० 6303.13 करोड़ (ऋण स्कीम कोड : UP-GE-GEN-511-2015-9793) के आहरण हेतु निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 05.10.2016 को पारित प्रस्ताव का उद्धरण</u></p>
	जवाहरपुर तापीय परियोजना के अर्न्तगत 2X660 मेगावाट की इकाई लगाने हेतु मैसर्स रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि० द्वारा स्वीकृत ऋण रू० 6303.13 करोड़ (ऋण स्कीम कोड : UP-GE-GEN-511-2015-9793) के आहरण हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा प्रस्ताव पारित कराये जाने के सम्बन्ध में।	<p>निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर तापीय परियोजना के अर्न्तगत 2X660 मेगावाट की इकाई लगाने हेतु मैसर्स रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि० द्वारा स्वीकृत ऋण रू० 6303.13 करोड़ (ऋण स्कीम कोड : UP-GE-GEN-511-2015-9793) के आहरण हेतु निम्न संकल्प पारित किया :-</p> <p>1. संकल्प लिया गया कि निदेशक मण्डल कि 18वीं बैठक जो 31.05.2016 को सम्पन्न हुई में एजेण्डा आइटम सं०</p>



CHAIRMAN'S INITIAL

Handwritten initials

- 18 में पारित प्रस्ताव जिसमें मेसर्स पी0एफ0सी0 से ऋण लेने का संकल्प लिया गया था, को निरस्त करने का अनुमोदन प्रदान किया।
2. संकल्प लिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 2X660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत गृह के निर्माण हेतु मेसर्स रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या REC/ZO/Gen/15-16/Jawaharpur TPP/712 दिनांक 07.10.2015 सपडित पत्र सं0 REC/ZOL/ZM Camp/16-17/207 दिनांक 03.06.2016 द्वारा स्वीकृत रू0 6303.13 करोड़ का ऋण (ऋण Scheme Code No. UP-GE-GEN-511-2015-9793) उसमें निहित नियम एवं शर्तों पर आहरित करने का अनुमोदन प्रदान किया।
3. संकल्प लिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आय-व्यय अनुमान में उक्त परियोजना हेतु पर्याप्त धनराशि वर्ष 2016-17 से 2036-37 तक प्राविधानित की जायेगी तथा ऋण के पुर्नभुगतान एवं ब्याज/ब्याज कर तथा अन्य व्ययों के भुगतान हेतु समुचित प्राविधान सम्बन्धित वर्षों के आय-व्ययों में किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
4. पुनः संकल्प लिया गया कि उक्त ऋण से सम्बन्धित समस्त प्राविधिक सूचनाएँ, आँकड़ें, सूचियाँ एवं योजना के लिये सामग्री तथा उपकरणों की सूची, क्लेम निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने एवं योजना के ससमय क्रियान्वयन हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं तदुपरि स्तर के अभियन्ता को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकन हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।
5. पुनः संकल्प लिया गया कि मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेन्ट निष्पादन के समय तथा ऋण तथा अन्य देयों के पूर्ण भुगतान तक उत्पादन निगम लि0 का परियोजना पर फिजिकल पजेशन तथा स्वामित्व रहेगा।
6. पुनः संकल्प लिया गया कि निगम द्वारा अचल सम्पत्तियों/अन्य सम्पत्तियों (वर्तमान एवं भावी को सम्मिलित करते हुये) जिसमें औजार, मशीनरी, चालू सम्पत्तियाँ, प्राप्य बुक डेब्ट्स, अन्य चल सम्पत्तियाँ तथा समस्त अचल सम्पत्तियों को ऋण की सीमा के 120%



CHAIRMAN'S INITIAL

५५-५

तक हाईपोथिकेट/मोर्टगेज करने हेतु विहित करने के लिए प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया।

अथवा/तथा

उक्त ऋण राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित, शर्त रहित तथा अपरिवर्तनीय होगा जो मैसर्स रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि० के पक्ष में होगा।

7. पुनः संकल्प लिया गया कि उक्त ऋण अनुमोदित वार्षिक योजना प्राविधानों के अनुसार शासकीय बजट प्राविधान के अतिरिक्त होगा।
8. पुनः संकल्प लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति जारी करने पर उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा जारी की जाने वाली काउन्टर गारण्टी को हस्ताक्षर करने हेतु कम्पनी सचिव को अधिकृत किया
9. पुनः संकल्प लिया गया कि 2X660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत गृह के निर्माण कार्य हेतु उक्त ऋण से सम्बन्धित कार्यों को निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण कराने हेतु 'परियोजना प्रबन्ध समिति' / टास्क फोर्स के गठन हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।
10. पुनः संकल्प लिया गया कि मैसर्स रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि० द्वारा निर्धारित शर्तों तथा समस्त वित्तीय प्रारूपों को स्वीकार करते हुये उत्पादन निगम लि० तथा रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि० के मध्य ऋण आह्वरण तथा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकारी को नामित करने हेतु श्री ए०के० अग्रवाल, निदेशक / अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० को अधिकृत किया।
11. पुनः संकल्प लिया गया कि यथा आवश्यकतानुसार यदि निगम की कॉमनसील अनुबन्ध पत्रों पर अंकित की जानी हो, उस स्थिति में निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 128 में निहित प्राविधान के अनुसार सील लगाने हेतु कम्पनी सचिव एवं निदेशक (वित्त)/प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।

2x660 मे.वा. जवाहरपुर तापीय परियोजना स्थल पर मा० मुख्यमंत्री जी के द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास कार्यक्रम के कार्य को सीमित निविदा से कराने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक

21.10.2016 को पारित प्रस्ताव का उद्घरण

2X660 मे.वा. जवाहरपुर तापीय परियोजना स्थल पर मा० मुख्यमंत्री जी के

निदेशक मण्डल ने 2X660 मे.वा. जवाहरपुर तापीय परियोजना स्थल पर मा० मुख्यमंत्री जी के द्वारा किये जाने वाले

CHAIRMAN'S
INITIAL

MINUTE BOOK

	द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास कार्यक्रम के कार्य को सीमित निविदा से कराने हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा प्रस्ताव पारित कराये जाने के सम्बन्ध में।	शिलान्यास कार्यक्रम के कार्य को सीमित निविदा से कराने हेतु निम्न प्रस्ताव पारित किया :- "2X660 मे0वा. जवाहरपुर तृतीय परियोजना, जिला-एटा पर माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम हेतु षण्डाल, बेरीकेडिंग, मंच की साज-सज्जा, बैठने की व्यवस्था, बैनर, एल0ई0डी0 लाइटिंग, साउण्ड सिस्टम, कल्बरल स्टेज, ग्रीन रूम, कारपेटिंग, सेफ हाउस, अस्थाई चिकित्सा कैम्प, इत्यादि एवं सम्पूर्ण इवेंट मैनेजमेंट का कार्य सीमित निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों पर कराने हेतु रू0 1,14,56,928.00 सेवाकर अतिरिक्त (रू0 एक करोड़ चौदह लाख छप्पन हजार नौ सौ अट्ठाइस एवं सेवा कर अतिरिक्त मात्र) का अनुमोदन प्रदान किया जाता है"।
3	निगम में आडिट कमेटी के गठन के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आडिट कमेटी के गठन के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 सचिव/उनिलि/जी-3/3464 दिनांक 09.12.2016 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
4	निगम में चीफ फाइनेन्शियल आफिसर की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 में श्री के0 सी पाण्डेय महाप्रबन्धक (ऑडिट) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को चीफ फाइनेन्सियल आफिसर (सी0एफ0ओ0) नामित करने का अनुमोदन प्रदान किया।
5	सर्टिफिकेशन ऑफ एनुवल रिटर्न के लिये प्रैक्टिसिंग कम्पनी सेक्रेटरी की नियुक्ति एवं फीस के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये दाखिल किये जाने वाले एनुवल रिटर्न का सर्टिफिकेशन करने हेतु श्री मरदान सिंह, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सेक्रेटरी को रू0 6,000.00 फीस पर नियुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
6	2X660 मे0वा0 जवाहरपुर परियोजना हेतु सी0एस0आर0 पॉलिसी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने कारपोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी (सी0एस0आर0) समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 हेतु कारपोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी (सी0एस0आर0) पॉलिसी का अनुमोदन प्रदान किया।
7	2X660 मे0वा0 जवाहरपुर परियोजना हेतु सी0एस0आर0 के अन्तर्गत निकटवर्ती 05 गाँवों में प्रत्येक घर में बिजली पहुँचाने के रू0 5,05,71,300.00 के विद्युतीकरण कार्य हेतु अनुमोदन के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने कारपोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी (सी0एस0आर0) समिति द्वारा की गई अनुशंसा में प्रदत्त शर्तों के अनुसार जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 कारपोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी

CHAIRMAN'S INITIAL



		(सी0एस0आर0) पॉलिसी के अन्तर्गत ऐसे 05 गांवों जिनकी भूमि का अधिग्रहण 2X660 मे0वा0 जवाहरपुर परियोजना के निर्माण के लिए किया गया था, में विद्युतीकरण के कार्य हेतु रू0 5,05,71,300.00 की धनराशि उ0प्र0पा0का0लि0 को प्रदान किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
8	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2014-15 का सम्प्रेक्षित पुनरीक्षित वार्षिक लेखा, उसपर संवैधानिक सम्प्रेक्षा उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ तथा अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने के लिये संस्तुति हेतु प्रस्ताव। बैठक में कम्पनी सचिव द्वारा निगम की आडिट कमेटी की दिनांक 28.12.2016 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया गया।	निदेशक मण्डल ने बैठक में प्रस्तुत एवं आडिट कमेटी की बैठक दिनांक 28.12.2016 में की गयी संस्तुति के क्रम में निगम के वित्तीय वर्ष 2014-15 के सम्प्रेक्षित पुनरीक्षित वार्षिक लेखे, संवैधानिक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन तथा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन (टीका टिप्पणी पत्र) एवं उस पर प्रबन्धन के उत्तर का अनुमोदन प्रदान किया एवं इन्हें अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत कराने के लिये प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति प्रदान की।
9	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2015-16 का सम्प्रेक्षित पुनरीक्षित वार्षिक लेखा, उसपर संवैधानिक सम्प्रेक्षा उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ तथा अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने के लिये संस्तुति हेतु प्रस्ताव। बैठक में कम्पनी सचिव द्वारा निगम की आडिट कमेटी की दिनांक 28.12.2016 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया गया।	निदेशक मण्डल ने बैठक में प्रस्तुत एवं आडिट कमेटी की बैठक दिनांक 28.12.2016 में की गयी संस्तुति के क्रम में निगम के वित्तीय वर्ष 2015-16 के सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखे, संवैधानिक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन तथा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन (टीका टिप्पणी पत्र) एवं उस पर प्रबन्धन के उत्तर का अनुमोदन प्रदान किया एवं इन्हें अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत कराने के लिये प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति प्रदान की।
10	निगम के वित्तीय वर्ष 2014-15 पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुमोदन एवं उसपर हस्ताक्षर करने हेतु	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान करते हुए



CHAIRMAN'S INITIAL

Handwritten initials

	प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।	उसपर हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।
11	निगम के वित्तीय वर्ष 2015-16 पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुमोदन एवं उसपर हस्ताक्षर करने हेतु प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान करते हुए उसपर हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।
12	निगम के अंशधारियों की 6ठी एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के अंशधारियों की 6ठी एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 28.12.2016 को सांय 4:45 बजे परिषद कक्ष 7वाँ तल, शक्ति भवन, लखनऊ में आयोजित किये जाने हेतु जारी निगम के पत्र सं० 3502 दिनांक 20.12.2016 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
13	निगम के अंशधारियों की 7वीं एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के अंशधारियों की 7वीं एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 28.12.2016 को सांय 5:15 बजे परिषद कक्ष 7वाँ तल, शक्ति भवन, लखनऊ में आयोजित किये जाने हेतु जारी निगम के पत्र सं० 3503 दिनांक 20.12.2016 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
14	2X660 मे०वा० जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० से उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा की बिक्री हेतु आगामी 25 वर्षों के लिये किये जाने वाले विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) एवं इसके Clause-12 "Rebates & Surcharge on late payment" को 1X660 मे०वा० हरदुआगंज विस्तार एवं 2X660 मे०वा० ओबरा 'सी' की भाँति रखे जाने हेतु निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	निदेशक मण्डल ने 2X660 मे०वा० जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० से उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा की बिक्री हेतु आगामी 25 वर्षों के लिये किये जाने वाले विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) एवं इसके Clause-12 "Rebates & Surcharge on late payment" को 1X660 मे०वा० हरदुआगंज विस्तार एवं 2X660 मे०वा० ओबरा 'सी' की भाँति रखे जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पारित किए :- <ol style="list-style-type: none"> 1. जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० की इकाईयों से उत्पादित होने वाली विद्युत ऊर्जा को पा०का०लि० द्वारा क्रय करने हेतु आगामी 25 वर्षों के लिए विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी०पी०ए०) निष्पादित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया। 2. निष्पादित किये जाने वाले विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी०पी०ए०) में Clause-12 "Rebates & Surcharge


 CHAIRMAN'S
 SERIAL
 100104

		on late payment" को 1X660 मे0वा0 हरदुआगंज विस्तार एवं 2X660 मे0वा0 ओबरा 'सी' की भाँति रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
15	2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना स्थल पर मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास कार्यक्रम के अन्तर्गत शिलान्यास का लाइव कवरेज के कार्य का कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने 2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना स्थल पर दिनांक 23.12.2016 को मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा किये गये शिलान्यास कार्यक्रम के अन्तर्गत शिलान्यास का लाइव कवरेज का कार्य IDEAL COMMUNICATIONS, G-19, Siddhartha Enclave, New Delhi-110014 से रू0 5,75,000.00 पर कराये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
16	जवाहरपुर तापीय परियोजना के अन्तर्गत 2x660 मेगावाट की इकाई लगाने हेतु मैसर्स रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0 द्वारा स्वीकृत ऋण रू0 3151.57 करोड़ (ऋण स्कीम कोड: UP-GE-GEN-511-2015-9793) एवं मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि0 द्वारा स्वीकृत ऋण रू0 3151.57 करोड़ (ऋण संख्या J2301001)के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।	निदेशक मण्डल ने इस प्रकरण पर पूर्व में निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 05.10.2016 में पारित प्रस्ताव में 2x660 मे0वा0 जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु मैसर्स रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0 नई दिल्ली से ऋण आहरित करने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुये वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार मैसर्स रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0 से रू0 3151.57 करोड़ तथा मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि0 नई दिल्ली से रू0 3151.57 करोड़ के स्वीकृत ऋण का अनुमोदन प्रदान करते हुए ऋण आहरित करने हेतु निम्नलिखित संकल्प पारित किए :- अ. <u>मैसर्स रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0</u> 1. संकल्प लिया गया कि निदेशक मण्डल ने 2x660 मे0वा0 जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा परियोजना स्थापित करने हेतु रू0 6303.13 करोड़ ऋण आहरित करने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल की दिनांक 05.10.2016 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में निगम एवं मैसर्स रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0 के मध्य सम्पादित अनुबन्ध दिनांक 06.10.2016 के सन्दर्भ में पूर्व निर्धारित शर्तों को यथावत रखते हुये मैसर्स रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0 द्वारा दी गयी सहमति के क्रम में पूर्व में स्वीकृत ऋण की

CHAIRMAN'S
INITIAL

धनराशि को संशोधित करते हुये रू० 3151.57 करोड़ के ऋण आहरित करने एवं आवश्यकतानुसार दिनांक 05.10.2016 में पारित निर्णय में अनुमोदित प्रक्रिया अनुसार यथा संशोधित अनुबन्ध निष्पादित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

ब. मेसर्स पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लि०

1. संकल्प लिया गया कि 2x660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत गृह के निर्माण हेतु मेसर्स पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लि० के पत्रांक 03/22/NR/UP/JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/J2301001/037586 दिनांक 05.04.2016 सप्लिड पत्र सं० 03/22/NR/UP /JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/J2301001 दिनांक 03.05.2016, पत्र सं० 03/22/NR /UP/JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/J2301001/039401 दिनांक 13.06.2016, पत्र सं० 03/22/NR/UP/JVUNL/Jawaharpur TPS /Vol-1/J2301001/039404 दिनांक 13.06.2016 एवं सहमति द्वारा स्वीकृत रू० 3151.57 करोड़ का ऋण (ऋण संख्या J2301001) उसमें निहित नियम एवं शर्तों पर आहरित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

2. संकल्प लिया गया कि जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के आय-व्ययक अनुमान में उक्त परियोजना हेतु पर्याप्त धनराशि वर्ष 2016-17 से 2031-32 तक प्राविधानित की जायेगी तथा ऋण के पुर्नभुगतान एवं ब्याज/ब्याज कर तथा अन्य व्ययों के भुगतान हेतु समुचित प्राविधान सम्बन्धित वर्षों के आय-व्ययकों में किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

3. पुनः संकल्प लिया गया कि उक्त ऋण से सम्बन्धित समस्त प्राविधिक सूचनाएँ, ऑकड़ें, सूचियाँ एवं योजना के लिये सामग्री तथा उपकरणों की सूची, क्लेम निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने एवं योजना के ससमय क्रियान्वयन हेतु अधीक्षण अधिकन्ता एवं

CHAIRMAN'S
INITIAL

तदुपरि स्तर के अभियन्ता को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकन हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।

4. पुनः संकल्प लिया गया कि उक्त ऋण पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित होगा जिसके लिये उ0प्र0 शासन द्वारा गारण्टी डीड/बॉण्ड एकजीवयूट किया जायेग।
5. पुनः संकल्प लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति जारी करने पर जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा जारी की जाने वाली काउन्टर गारण्टी को हस्ताक्षर करने हेतु कम्पनी सचिव को अधिकृत किया।
6. पुनः संकल्प लिया गया कि मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेन्ट निष्पादन के समय तथा ऋण तथा अन्य देयों के पूर्ण भुगतान तक जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 का परियोजना पर फिजिकल पोर्जेसन तथा स्वामित्व रहेगा।
7. पुनः संकल्प लिया गया कि उक्त ऋण अनुमोदित वार्षिक योजना प्राविधानों के अनुसार शासकीय बजट प्राविधान के अतिरिक्त होगा।
8. पुनः संकल्प लिया गया कि 2x660 मेगावाट जवाहरपुर विद्युत तापीय विद्युत गृह के निर्माण कार्य हेतु उक्त ऋण से सम्बन्धित कार्यों को निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण कराने हेतु एक टास्क फोर्स के गठन हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।
9. पुनः संकल्प लिया गया कि मैसर्स सावर फाइनेंस कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्धारित शर्तों तथा समस्त वित्तीय प्रारूपों को स्वीकार करते हुये जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 तथा सावर फाइनेंस कारपोरेशन लि0 के मध्य ऋण आहरण तथा



CHAIRMAN'S
INITIAL



सम्बन्ध में।	पारित किये:- <ol style="list-style-type: none">परियोजना पर आवासीय कालोनी एवं अन्य संसाधनों की पूर्णरूपेण उपलब्धता तक निर्माण कार्य में लगे निगम के नियमित अधिकारी/कार्मिक जो वर्तमान में एटा/मलावन में रह रहे हैं को प्रतिमाह रू० 3000.00 का विशेष नगर प्रतिकर भत्ता देने का अनुमोदन प्रदान किया।निदेशक मण्डल ने साथ ही यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त विशेष नगर प्रतिकर भत्ता एक वर्ष अथवा गेस्ट हाउस/फिल्ड हास्टल के निर्मित हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो तक ही दिया जायेगा।
--------------	--

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

बैठक सांय 4:00 बजे प्रारम्भ होकर सांय 4:30 बजे समाप्त हुई।

दिनांक : 30.12.2017



(बी०एस० तिवारी)
बैठक के अध्यक्ष

CHAIRMAN'S
INITIAL

		<p>गठन हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।</p> <p>9. पुनः संकल्प लिया गया कि- मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि० द्वारा निर्धारित शर्तों तथा समस्त वित्तीय प्रारूपों को स्वीकार करते हुये जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि० के मध्य ऋण आहरण तथा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने हेतु निदेशक (वित्त)/प्रबन्ध निदेशक, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा नामित अधिकारी को अधिकृत किया।</p> <p>10. पुनः संकल्प लिया गया कि- यथा आवश्यकतानुसार यदि निगम की कॉमनसील अनुबन्ध पत्रों पर अंकित की जानी हो, उस स्थिति में निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 128 में निहित प्राविधान के अनुसार सील लगाने हेतु कम्पनी सचिव एवं निदेशक (वित्त)/प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।</p>
7	2X660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय परियोजना की जलापूर्ति हेतु सिंचाई विभाग की कार्य योजना जिसकी कुल संशोधित लागत रु० 261.00 करोड़ है, के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	<p>निदेशक मण्डल ने 2X660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय परियोजना की जलापूर्ति हेतु सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना जिसके अन्तर्गत बेबर शाखा एवं मलावन राजवाहा की रीमॉडलिंग का कार्य, कच्चे अयार नाले का नव निर्माण, मलावन नाले की रीमॉडलिंग, सप्लाइ चैनल का निर्माण तथा सप्लाइ चैनल हेतु भूमि के अधिग्रहण का कार्य सम्मिलित है, जिसकी कुल लागत रु० 261.00 करोड़ है, का एवं सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित धन निर्गमन शिड्यूल के अनुसार धन निर्गमन का अनुमोदन प्रदान किया।</p> <p>निदेशक मण्डल ने यह भी निर्देश दिया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में बढ़ी हुई लागत को कुल परियोजना लागत में समाहित करते हुए उ०प्र० शासन से अनुमोदन हेतु अग्रतर कार्यवाही की जाए।</p>
8	जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।	<p>निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तुत सूचना संज्ञान में लिया।</p>
9	जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना पर तैनात अधिकारियों को विशेष नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने के	<p>निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना पर तैनात अधिकारियों को विशेष नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न संकल्प</p>

धनराशि वर्ष 2016-17 से 2031-32 तक प्राविधानित की जायेगी तथा ऋण के पुर्नभुगतान एवं ब्याज/ब्याज कर तथा अन्य व्ययों के भुगतान हेतु समुचित प्राविधान सम्बन्धित वर्षों के आय-व्ययकों में किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

3. पुनः संकल्प लिया गया कि -उक्त ऋण से सम्बन्धित समस्त प्राविधिक सूचनाएँ, आँकड़े, सूचियाँ एवं योजना के लिये सामग्री तथा उपकरणों की सूची, क्लेम निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने एवं योजना के ससमय क्रियान्वयन हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं तदुपरि स्तर के अभियन्ता को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकन हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।
4. पुनः संकल्प लिया गया कि- उक्त ऋण पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित होगा जिसके लिये उ0प्र0 शासन द्वारा गारण्टी डीड/बॉण्ड एकजीक्यूट किया जायेगा।
5. पुनः संकल्प लिया गया कि- राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति जारी करने पर जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा जारी की जाने वाली काउन्टर गारण्टी को हस्ताक्षर करने हेतु कम्पनी सचिव को अधिकृत किया।
6. पुनः संकल्प लिया गया कि- मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेन्ट निष्पादन के समय तथा ऋण तथा अन्य देयों के पूर्ण भुगतान तक जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 का परियोजना पर फिजिकल प्रोजेक्शन तथा स्वामित्व रहेगा।
7. पुनः संकल्प लिया गया कि- उक्त ऋण अनुमोदित वार्षिक योजना प्राविधानों के अनुसार शासकीय बजट प्राविधान के अतिरिक्त होगा।
8. पुनः संकल्प लिया गया कि- 2X660 मेगावाट जवाहरपुर विद्युत तापीय विद्युत गृह के निर्माण कार्य हेतु उक्त ऋण से सम्बन्धित कार्यों को निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण कराने हेतु एक टास्क फोर्स के

CHAIRMAN'S
INITIAL

नियुक्त उनके सम्मुख अंकित सम्प्रेक्षा शुल्क पर किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया :-

संवैधानिक सम्प्रेक्षक	परियोजना/इकाई जिसके लिए सम्प्रेक्षा शुल्क (जी० एस० टी० अतिरिक्त देय है) (रु० में)
राजीव नंदन एण्ड कम्पनी (CR0713) 301-A, द्वितीय तल, गोविन्द अर्पाटमेंट 9-A, शाहनजफ रोड,	मुख्यालय, लखनऊ रु० 16500.00

2. पुनः संकल्प लिया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति एवं उनकी फीस का अनुमोदन कम्पनी अधिनियम के प्राविधानों के तहत अंशधारियों की वार्षिक सभा से भी प्राप्त कर लिया जाये।

6 मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि० द्वारा (2x660 मेगावाट) जवाहरपुर तापीय परियोजना हेतु स्वीकृत ऋण सं० (6303.13) 3151.56+3151.57 करोड़ में रु० 2149.88 करोड़ की ऋण वृद्धि हेतु निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थी प्रस्ताव।

निदेशक मंडल ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्न संकल्प पारित किये :-

1. संकल्प लिया गया कि-- 2x660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत गृह के निर्माण हेतु मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि० के पत्रांक 03/22/NR/UP/JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/ J2301001/037586 दिनांक 05.04.2016 संपादित पत्र सं० 03/22/NR/UP/JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/J2301001 दिनांक 03.05.2016, पत्र सं० 03/22/NR/UP/JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/J2301001/039401 दिनांक 13.05.2016, पत्र सं० 03/22/NR/UP/JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/J2301001/039404 दिनांक 09.05.2017 पत्र सं० 03/22/NR/UP/JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/J2301001 एवं सहमति द्वारा स्वीकृत रु० 2149.88 करोड़ का ऋण (ऋण संख्या J2301001) उसमें निहित शिर्षक एवं शर्तों पर आहरित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

2. संकल्प लिया गया कि --जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के अध्यक्ष-व्ययक अनुमान में उक्त परियोजना हेतु पर्याप्त

CHAIRMAN'S INITIAL

		<p>नाम हस्तांतरित करने का अनुमोदन प्रदान किया।</p> <p>4. निदेशक मण्डल ने श्री एचके0 अग्रवाल के नाम निगम का एक अंश श्री प्रदीप सोनी के नाम हस्तांतरित करने का अनुमोदन प्रदान किया।</p> <p>5. निदेशक मण्डल ने श्री सुबीर चक्रवर्ती, निदेशक (डिन 07942416) श्री संजय तिवारी, निदेशक (डिन 08009128) द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र सं0 एम0बी0पी0-1, डी0आई0आर0-8 एवं डी0आई0आर0-2 को रिकार्ड पर लिया।</p>
2	<p>निगम के निदेशक मण्डल की 22वीं बैठक जो दिनांक 23.08.2017 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि।</p>	<p>निदेशक मण्डल ने 22वीं बैठक जो दिनांक 23.08.2017 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।</p>
3	<p>कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के अन्तर्गत निगम में चीफ फाइनेंसियल आफिसर मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>निदेशक मण्डल ने श्री के0सी0 पाण्डेय, महा प्रबन्धक (सम्प्रेक्षा) के स्थान पर श्री एम0सी0 पाल, मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के अन्तर्गत चीफ फाइनेंसियल आफिसर मनोनीत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।</p>
4	<p>2X660 मेगावाट जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 में केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड को किये जाने वाले आवेदन हेतु अधिकारी को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>निदेशक मण्डल ने श्री अशोक स्वसेना, अधीक्षण अभियन्ता-11, पीपीएमएम इकाई को निगम के पत्र दिनांक 28.11.2017 द्वारा नामित एवं अधिगृहित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।</p>
5	<p style="text-align: center;"><u>एजेण्डा आइटम</u></p> <p>जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति एवं उनकी सम्प्रेक्षा फीस के अनुमोदन के सम्बन्ध में।</p> <p style="text-align: center;"><u>लिया गया निर्णय</u></p> <p>निदेशक मंडल से ने वैधानिक सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति हेतु निम्न संकल्प पारित किये :-</p> <p>1. संकल्प लिया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों की वैधानिक सम्प्रेक्षा हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली के पत्रांक CA.V/COY/UTTAR PRADESH JAWVID(1)/678 दिनांक 08.08.2017 के द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक सम्प्रेक्षक की</p>	

CHAIRMAN'S
INITIAL